

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

क्रमांक :- ४३।

दिनांक :- 22/05/2026

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने से मैं गजपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (लिंक अधिकारी) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपडित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 705 दिनांक 01.05.2026 में टोंक न्यायक्षेत्र में पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों का स्थानांतरण होने से संशोधन कर टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्य (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इयूटी करेंगे। साथ ही प्रोटोकॉल के लिए सारणी संख्या 2 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे। माह मई-2026 की शेष दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती जारी आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इयूटी

क.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	श्रेया गोयल	8239998880	23.05.2026
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	चांदनी जैन	7357340939	24.05.2026
3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	सबा परवीन कागजी	7727998839	28.05.2026
4	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	यतिन खटाना	8860702787	31.05.2026

सारणी संख्या :- 2 प्रोटोकॉल इयूटी

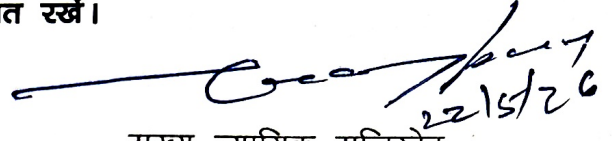
क.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	स्वप्निका कटारा	7340111346	23.05.2026
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	पूनम जगरवाल	9694555996	24.05.2026
3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	तनिषा मेहरा	7728004988	31.05.2026

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल

इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।



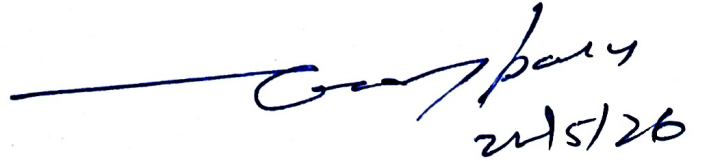
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 832-855

दिनांक :- 22/05/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1/संख्या-2, टोंक।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा/मालपुरा/निवाई/टोडारायसिंह।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट. टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)